न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 23/2024 G.C.M.S. No. 2024/578 दर्ज दिनांक : 10.12.2024

अपीलार्थिगण:

स्वर्गीय देवाराम पुत्र सोमला उर्फ सोमाराम के वारीसदार व कायम मुकाम

1. लीलादेवी पत्नी स्व. देवाराम जाति मेघवाल
2. पंकज कुमार पुत्र स्व. देवाराम जाति मेघवाल
3. विजय कुमार पुत्र स्व. देवाराम जाति मेघवाल
4. गणेश कुमार पुत्र स्व. देवाराम जाति मेघवाल पेशा खेती नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अपीलांट संख्या 01 लीलादेवी
5. रिंकु कुमारी पुत्री स्व. देवाराम जाति मेघवाल
6. डिम्पल कुमारी पुत्री स्व. देवाराम जाति मेघवाल सर्वनिवासीयान नया सानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. शंकरराम उर्फ शंकरलाल पुत्र दानीया जाति मेघवाल निवासी नया सानवाडा तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 193/2018 बअनवान देवाराम बनाम शंकरराम में पारित आदेश दिनांक 27.01.2021

पैरोकार:–

1. श्री राजेन्द्र सिंह आढा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री नरपत सिंह देवड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक :28.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 193/2018 बअनवान देवाराम बनाम शंकरराम में पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अपीलांट के खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 350 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मौजा ग्राम नया सानवाडा पटवार हल्का नया सानवाडा तहसील पिण्डवाडा में आई हुई है। अपीलांट के पुर्व रसाधिकारी देवाराम पुत्र सोमा उर्फ सोमाराम ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार पिण्डवाडा की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में मौके पर रास्ता 25 फिट चौड़ा व 256 फिट लम्बा कुल 6400 वर्गफीट का मौके पर देने के संबंध में प्रस्ताव भिजवाये थे उक्त प्रस्ताव पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अप्रार्थी की ओर से किसी प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली, केम्प-सिरोही

की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की थी। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने 25 फीट की जगह चौड़ाई केवल 1 गट्ठा अर्थात सवा 8 फिट देने में कानुन व वाक्यातन भूल की है। उक्त निर्णय दिनांक 27.01.2021 को पारित किया गया है उसके पश्चात अपीलांट के पुर्वरसाधिकारी देवाराम ने निर्णय की पालना में राशि जमा करवा दी थी तथा काफी लम्बे समय तक रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया गया था। जिस पर वे लगातार इस संबंध में चाराजोही करते रहे और कुछ समय पश्चात वे बीमारी ग्रसित हो गये तथा दिनांक 31.07.2022 को उनका देहावसान हो गया उनके अचानक देहावसान होने से अपीलांट काफी सदमें में आ गये तााि इस संबंध में लम्बे समय तक सदमें में रहे एवं राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज तथा मौके पर रास्ता खुलवाने व अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार पिण्डवाडा से सम्पर्क किया एवं कार्य नहीं होने पर राजस्थान पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई जिसकी पालना में दिनांक 10.07.2024 को नामान्तरकरण दर्ज किया गया एवं 29.06.2024 को मौके पर नाप जोख कर रास्ता खुलवाया गया जिस पर अपीलांट को प्रथम बार यह जानकारी हुई कि रास्ता केवल सवा 8 फिट ही मौके पर चौडाई में खोला है जिस पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.11.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल हेतु आवेदन किया जिस पर उन्हे अपने उक्त प्रकरण में अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह आढा होने की जानकारी हुई नकल 20.11.2024 को प्राप्त हुई। जिसका अवलोकन करने पर रास्ता चौड़ाई में 8 फिट ही देने की जानकारी हुई। मौके पर 8 फिट चौडा रास्ता देने से अपीलांट के ट्रेक्टर आदि साधन लाने ले जाने में काफी तकलीफ हो रही है मुख्य रास्ता 256 फिट की दुरी पर स्थित है जिससे कृषि उपज का सामान भी उठाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है जिससे अपीलांट को काफी तकलीफ और पीड़ा हो रही है। मुख्य रास्ता 256 फिट की दुरी पडता है। अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलांट को 1 गट्ठा चौडाई रास्ता देने का आदेश पारित किया है उस आदेश में संशोधन कर रास्ता 25 फिट चौडाई में दिये जाने का आदेश प्रदान करावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 कराजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.01.2021 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 10.12.2024 को विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी।
2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट को उक्त निर्णय दिनांक 27.01.2021 की जानकारी दिनांक 29.06.2024 को मौके पर नाप

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

जोख कर रास्ता खुलवाने एंव दिनांक 06.11.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त हेतु आवेदन करने से जानकारी होने की तारीख से अपील अन्दर म्याद शुमार फरमावे। अतः अपीलांट की अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अन्दर म्याद शुमार फरमावे।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में गुणावगुण से संबधित सारवान प्रश्न विद्यमान है अतः प्रकरण का निस्तारण कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थी द्वारा अपनी जोत तक पहुच के लिए पहुच मार्ग की मांग की गयी। भू. अ. निरी. द्वारा अपनी जांच प्रतिवेदन में 25 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा एक गट्ठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया गया। जो कृषि उपकरणों के लिए लाने ले जाने हेतु अत्यंत संकरा व अप्रासगिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विवेचन किए बिना तथा निकटतम दूरी के विकल्पो का परीक्षण किए बिना अपीलाधीन आदेश यंत्रवत रूप से पारित किया गया है। जो पुष्टि योग्य नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर पत्रावली विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 193/2018 बअनवान देवाराम बनाम शंकरराम में पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 को अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को विधिवत सूचित करवाते हुए, भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न राजस्व अधिकारी से नियमानुसार नवीन व स्पष्ट मौका रिपोर्ट मय नक्शा जिसमें प्रार्थी की आराजी तक पहुच के लिए सभी संभावित विकल्प दर्शित किए गए हो, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क एवं राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 (अद्यतन संशोधित प्रावधान्रो सहित) का भलीभाति अवलोकन व अनुपालन करते हुए एवं काश्तकार की जोत तक कृषि उपकरणो एवं ट्रेक्टर ट्रोली आदि सहित पहुच के लिए न्यूनतम अपेक्षित चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.06.2026 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली